


FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

मुदालत उपखण्ड न्यायकारी मुकाम मीरसाहा
सावत्री देवी बनाम मंजति वर्मा
 क्रमा दावा नं० 365 सन् 2022

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	संख्यर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>6-9-22 आज थर बाद पत्र कार्यालय से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो धीरेधीरे जारी रजिस्ट्रस समन तलवावा से तलब हो। वादी के वकील रजि० Ad समन तलवावा से तलब करे। पत्रावली वास्ते रजि० तलबी दिनांक 6-10-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>क्ष/</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी मीरसाहा (अलवर) राज.</p> <p>6.10.22 आज पत्रावली देण हुअ वकालत <u>हाल कार्रवाई</u> पीठाधीन अधिकारी <u>नाम केर</u> निर्दिष्ट सं पधार में पत्रावली उनके संख्या में <u>24-11-22</u> पेश हो।</p> <p>24-11-22 आज पत्रावली देण हुअ वकालत <u>हाल कार्रवाई</u> उपस्थित है, वकील <u>नाम केर</u> समन वाकन है। पत्रावली जम्मे <u>वाकन वकालत</u> ज संख्या <u>24-11-22</u> पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मीरसाहा</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em;"><u>सावत्री</u></p> 

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स नम

21-2-23 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य स्वगत किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16-5-23 को पेश हो।

रीडर

16-5-23

आज पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6-6-23 को पेश हो।
उपरखण्ड अधिकारी
नीमराना

6-6-23

आज पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-8-23 को पेश हो।

22-8-23

आज यह पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7-11-23 को पेश हो।
उपरखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

07-11-23

आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य स्वगत किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26-6-24 को पेश हो।
रीडर


26/24

आज यह पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26-6-24 को पेश हो।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अडकाम जो इस हुकम
की तामिल में जारी हुए

पूण्या वी प्राप्त ह्य, जस्ये २५
प्रतिर होता है कि लगी अपता वाप
कलवा वी वही वाधता है। अतः ~~व्यक्ति~~
~~के अडकाम~~ को अदम पें रती व अदम
दलरी में रतारी न किया जाता है,
पकवती कोसल सुमा टोका कम्बरासे
काम है। वाद लक्ष्मील धारिष न
दिएता है।


उपस्वड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-करोड)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

सावित्री वगै० बनाम मंजीत वगै०

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

इ हुक्म

न. या ता.
अहकाम जो
जारी हुआ

06.09.2022

आज यह प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थीगण ने दावे के साथ पेश किया। दावा व प्रा०पत्र को साथ-साथ पढ़ा गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस वकील प्रार्थीगण व प्रा. पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का पृथम-दृष्ट्या मामला प्रतित होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। तथा नापूर्ति क्षति होने का अन्देशा भी प्रार्थी को ही है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.10.2022 तक इस अनर से पाबन्द किया जाता है कि वे आ.ख.नं. हाल 100/0.40, 137/0.65, 140/0.32, 144/0.56, 146/0.32, 148/0.33, 152/0.36, 153/0.05, 138/0.01, 139/0.96 वाके ग्रान फतेहपुरा तह० नीमराना आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्ताकिल ना करे। ना ही प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करे तथा ना ही कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की नजाहनत व मदाखलत पैदा करे। मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

तथा क्योंना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई करदी जावे जो नी आपति हो हाजिर अदालत हो कर उत्तर पेश करे। वकील प्रार्थी इस अनर का रजि० ए,डी, टी०आई० तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो कर दिनांक 06.10.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

6-10-22 आज फतावती के हुं, एवला राजेश कुमार शिवाजी
पीठासन अधिकारी अनुराग नाम काम के अनुराग
निर्दिष्ट व फतावती एवला अनुराग
पत्र नं 84-H-22 का पत्र नं. 15


तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए।

20/6/24

मौल यह पताचिनी कून राग के
 खाद्य केरा डुरी। पचातली में ~~सहायक~~
 मद्रम केरती व मद्रम दायरी में
 खारीज हो चुका है। मतः साधक
 को मद्रम केरती व मद्रम दायरी
 में खारीज किया जाता है। पचातली
 केरती सुग्रा होकर बरका से कम
 हो। बाद इसी संलग्न मद्रम राग रहे।



उपस्थंड अधिकारी
 नौसराना (कोरपूतली-करोड)